

# न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या 11/06/2025 रजि० नम्बर 2025/152 प्रवेश तिथि 02.06.2025 निर्णय दिनांक 02.06.2025

1. शीला मीना पत्नी सुरेश चंद जाति मीना निवारी कॉलोनी ग्राम सैमला, हसनपुर क्षेत्र तहसील व जिला अलवर राज०।  
—अपीलाण्ट

## वनाम

1. अमीचंद मीना पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवारी कॉलोनी, ग्राम मांदरी थानागाजी तहसील थानागाजी, जिला अलवर राज०।

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध नामा० सं० 293 वाके ग्राम चकमीणापुरा निर्णय दिनांक 05.02.2025 तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर राज०।

उपस्थित:—

01—श्री मूलचन्द चौधरी

—वकील अपी०

02—श्री राजबहादुर जांगिड़

—वकील रेस्पो०

## —:निर्णय:—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध तहसीलदार रामगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 05.02.2025 नामान्तरण संख्या 293 स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पो० सं. 1 के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। मुताबिक राजीनामा के अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करने में रेस्पो० सं. 1 को कोई एतराज नहीं है। अपीलाण्ट एवं रेस्पो० सं. 1 को राजीनामा पर सुना जाकर तस्दीक किया गया एवं उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार रामगढ़ द्वारा दिनांक 05-02-2025 को पारित किया गया है जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 03-03-2025 को हुई उसके उपरांत मिन अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जो अपील दिनांक 23-04-2025 को स्वीकार की गई थी। लेकिन उक्त अपील में नामान्तरण संख्या 293 के स्थान पर अपील में 292 सहबन से त्रुटिवश हो जाने से निर्णय में भी अपील के अनुसार गलत इंतकाल संख्या अंकित हो गया। जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को उक्त निर्णय की नकल उसी दिन दिनांक 23-04-2025 को प्राप्त होने पर उसके अवलोकन से हुई। जिस पर वकील साहब ने तुरन्त मौजूदा अपील पेश करने की सलाह दी जिससे यह अपील जानकारी की दिनांक 23-04-2025 से अविलम्ब पेश की जा रही है तथा जो देशी हुई है वह उक्त कारण से हुई। इंतकाल आज्ञा दिनांक 05-02-2025 से जानकारी की तारीख दिनांक 23-04-2025 तक का समय धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत माफ किया जाना न्यायहित में आवश्यक है कि जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

मिन अपीलान्टा द्वारा रेस्पाडेण्ट संख्या 1 को आराजी खसरा नम्बर 297/42 रकबा 4.31 हैक्टेयर का 1/2 हिस्सा यानि रकबा 2.1550 हैक्टेयर का 500/2155 हिस्सा यानि 0.50 हैक्टेयर का बेचान जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 05-02-2025 को विक्रय किया गया था। उक्त बयनामा के आधार पर नामान्तरण संख्या 293 दिनांक 05-02-2025 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरण स्वीकार करते हुए बयनामा का अवलोकन ठीक प्रकार से नहीं किया और रेस्पाडेण्ट संख्या 1 के हक में नामान्तरण स्वीकार किया वह 100/437 हिस्सा का स्वीकार

जिला कलक्टर  
अलवर (राज०)

किया गया है। जबकि मिन अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 297/42 रकबा 4.31 हैक्टेयर का 1/2 हिस्सा यानि रकबा 2.1550 हैक्टेयर का 500/2155 हिस्सा यानि 0.50 हैक्टेयर का बेचान किया गया था और इसी हिस्सानुसार नामांतरण स्वीकार होना चाहिए। उक्त गलत तौर पर स्वीकार किया गया है जिससे मिन अपीलान्ट के हकूक जायल होने का खतरा है तथा उक्त इंतकाल मिन अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना बयनामा का अवलोकन किये स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में मिन अपीलान्टा उक्त इंतकाल निरस्त कराने की अधिकारी है कि जिस हेतु यह अपील पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टा स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू०अ०) रामगढ जिला अलवर की आज्ञा दिनांक 05.02.2025 बाबत नामांतरण संख्या 293 वाके ग्राम चकमीणापुरा तहसील रामगढ जिला अलवर निरस्त फरमायी जावे। और अधिनस्थ न्यायालय को मुताबिक पंजीकृत बयनामा दिनांक 05.02.2025 रेस्पॉडेन्ट सं. 1 के हक में नामांतरण स्वीकार कर नियमानुसार इन्द्राज कराये जाने की कृपा की जावे। आपकी अतिकृपा होगी।

सर्वप्रथम प्रा०पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2025 के विरुद्ध दिनांक 21.05.2025 को पेश की गयी है जो करीब 03 माह 16 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मददेनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।


पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकूलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन-मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा दर्ज व स्वीकार नामान्तरण संख्या 293 दिनांक 05.02.2025 एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 05.02.2025 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के रेस्पॉडेन्ट को आराजी खसरा नंबर 297/42 कुल रकबा 4.31 है० में से 0.50 हेक्टेयर भूमि का बेचान किया गया था और कब्जा भी 0.50 है० भूमि पर दिया गया, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल तस्दीक व स्वीकार करते समय बयनामा का सही अवलोकन नहीं किया गया जिससे 0.50 है० की जगह 1.0 है० का इंतकाल रेस्पॉ० के नाम दर्ज व स्वीकार कर दिया गया, जो कि एक विधिक त्रुटि है। पत्रावली में संलग्न अपीलान्ट व रेस्पॉ० द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र अनुसार अपी० व रेस्पॉ० के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा रेस्पॉ० द्वारा अपील अपी० स्वीकार किये जाने के संबंध में अनापत्ति जाहिर की है। अतः अपील अपी० स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ का आदेश इंतकाल सं० 293 दिनांक 05.02.2025 को निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 297/42 कुल रकबा 4.31 है० में से पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 05.02.2025 के अनुसार 0.50 है० भूमि का रेस्पॉ० अमीचंद मीना पुत्र लक्ष्मीनारायण मीना के हक में नियमानुसार नामान्तरण दर्ज किया जावे। प्रस्तुत राजीनामा मूल निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया



(आर्तिको शुक्ला)  
जिला कलक्टर  
अलवर (राजस्थान)



सेवामें,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

- 1- शीला मीना पत्नी सुरेश चन्द मीना निवासी ग्राम सैमला हसनपुर  
तहसील व जिला अलवर.राज. —अपीलान्ट

बनाम

- 1- अमीचन्द पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी मकान संख्या  
—0कॉलोनी—मांदरी थानागाजी क्षेत्र/स्थान—मांदरी थानगाजी शहर  
अलवर
- 2- तहसीलदार (भू0अ0) रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज.

—रेस्पाडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार (भू0अ0) रामगढ  
जिला अलवर दिनांक 05-02-2025 बाबत  
नामांतकरण संख्या 293 वाके ग्राम चकमीणापुरा  
तहसील रामगढ जिला अलवर ।

श्रीमानजी,

राजीनामा निम्न प्रकार पेश है:-

- 1- यह कि उपरोक्त नामांतकरण गलत तोर पर स्वीकृत किया गया है।  
जिस कारण अपीलान्ट व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के मध्य आपसी लोक  
अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है तथा

2/6/2025  
Reader

आज दिनांक 21/6/25 को अलवर  
 एवं रेवड़ी में लिखित राजीनामा देखा  
 गया। उक्त पत्र को 26/6/25  
 को अलवर (राज.) में  
 जिला कलेक्टर द्वारा अलवर  
 में भेजा गया। उक्त राजीनामा  
 को अलवर (राज.) में अलवर एवं  
 रेवड़ी के जिला कलेक्टर को भेजा  
 गया। उक्त राजीनामा को  
 अलवर (राज.) में अलवर एवं  
 रेवड़ी के जिला कलेक्टर को भेजा  
 गया। उक्त राजीनामा को  
 अलवर (राज.) में अलवर एवं  
 रेवड़ी के जिला कलेक्टर को भेजा  
 गया।

अ. पी. क. म.

दीना

डा. Moulc h...

21/6/25  
जिला कलेक्टर  
अलवर (राज०)

अ. पी. क. म.

डा. Moulc h...

मुताबिक राजीनामा अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने में मिन रेस्पाडेन्ट संख्या 1 को कोई एतराज किसी प्रकार का नहीं है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमाये जाने की कृपा की जावें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थीगण

शीला श्री. मेराले कृष्ण

शीला मीना पत्नी सुरेश चन्द मीना निवासी ग्राम  
सैमला हसनपुर तहसील व जिला अलवर राज.

—अपीलान्ट जरिये अधिवक्ता

अमीचन्द श्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी

मकान संख्या -0कॉलोनी-मांदरी थानागाजी

क्षेत्र/स्थान-मांदरी थानगाजी शहर अलवर

—रेस्पाडेन्ट सं.1

जरिये अधिवक्ता